N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0144 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 07/06/2025 16:48 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 20/05/2025 Date To (दिनांक तक): 05/06/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 14:00 बजे Time To (समय तक): 18:10 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 07/06/2025 Time (समय): 15:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 07/06/2025 16:48:43 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 200 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): MAHESHWARI EMITRA TEHSIL, KARYALAY KE SAMNE BHARTPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** DAYACHAND
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** BANKE SINGH RAJPUT
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1977 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PEEPLA POLICE STATION, CHIKSANA, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PEEPLA POLICE STATION, CHIKSANA, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MUKESH KUMAR		पिता:HARICHARAN LAL VAISHYA	1. HAAL PATWARI,,PATWAR HALKA PEEPALA-1,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	8000 रुपये रिश्वती राशि बरामद की।	8,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर विषय- रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है प्रार्थी की ग्रा0पं0 पीपला जिला भरतपुर में खसरा नम्बर 2347, 2346 , 2365 कृषि भूमि है जो मेरी मां और भाई दिनेश के नाम से है। मुझे और मेरे परिवारजनों को अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान कराना है मेरे परिवार के जमीन सम्बंधी कार्यों को मैं ही देखता हूं इस कार्य के लिए मैं हल्का पटवारी मुकेश कुमार से मिला तो पटवारी ने कहा कि मैं आपके हल्का पर नही लग रहा हूं फिर भी तुम्हारा कार्य करवा दूंगा इसके लिए तुम्हे 10,000 रूपये देने पडेंगे । 10,000 रूपये नही दोगे तो तुम्हारा कार्य नही होगा। मैं पटवारी को रिश्वत की राशि नही देना चाहता हूं रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरा पटवारी से कोई लेनदेन बकाया नही है नाही किसी प्रकार की रंजिश है कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी एसडी दयाचन्द पुत्र बांके सिंह निवासी ग्राम पीपला जिला भरतपुर 20.05.2025 मो0[redacted], एसडी अमित सिंह अति0 पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर 20.05.25, एसडी श्री विनोद शर्मा 05.06.25, एसडी श्री रणवीर सिंह 05.06.2025। कार्यवाही पुलिस दिनांक 20.05.25 समय - 02.00 पी.एम, एसीबी भरतपुर, प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री दयाचन्द पुत्र श्री बांके सिंह जाति राजपूत उम्र 48 साल निवासी ग्राम पीपला पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की छायाप्रति मय छायाप्रति सीमांकन आवेदन पत्र दिनेश सिंह पुत्र श्री बांके सिंह एवं श्रीमती मायादेवी पत्नि श्री बांकेसिंह के अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को इस आशय की पेश की कि प्रार्थी की ग्रा0पं0 पीपला जिला भरतपुर में खसरा नम्बर 2347, 2346 , 2365 कृषि भूमि है जो मेरी मां और भाई दिनेश के नाम से है। मुझे और मेरे परिवारजनों को अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान कराना है मेरे परिवार के जमीन सम्बंधी कार्यों को मैं ही देखता हूं इस कार्य के लिए मैं हल्का पटवारी मुकेश कुमार से मिला तो पटवारी ने कहा कि मैं आपके हल्का पर नही लग रहा हूं फिर भी तुम्हारा कार्य करवा दूंगा इसके लिए तुम्हे 10,000 रूपये देने पडेंगे । 10,000 रूपये नही दोगे तो तुम्हारा कार्य नही होगा। मैं पटवारी को रिश्वत की राशि नही देना चाहता हूं रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरा पटवारी से कोई लेनदेन बकाया नही है नाही किसी प्रकार की रंजिश है कार्यवाही करने की कृपा करें। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरी हस्तलिखित है और हमारी जमीन पटवार हल्का पीपला-2 में है जबकि पटवारी मुकेश कुमार पटवार हल्का पीपला -1 में है। हमारे गॅाव व आसपास के क्षेत्र में जमीन की नाप करवाने मुकेश पटवारी ही जाता है। जिसके सिलसिले मेंने इससे नाप करवाने की कहा तो इसने बताया कि भले ही मेरा क्षेत्र नही है फिर भी आप मुझे 10,000 रूपये दो तो मैं आपका काम करवा सकता हूं और जमीन नाप में आपको कोई परेशानी नही आएगी बस आपतो इसे नायब तसीलदार साहब या तहसीलदार से मार्क करवाकर मुझे दे दो इस पर मैंने आज ही दिनांक 20.05.25 को जमीन नाप के आवेदन पत्रों को नायब तहसीलदार नरेन्द्र राजावत से मार्क करवा लिया था और अब मुझे पटवारी से नाप बाबत सम्पर्क करना है और वो मुझसे रिश्वत मांग की बात करेगा। मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रकिया अनुसार रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। गोपनीय सत्यापन से जैसी स्थिति होगी अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। इसके बाद समयः- 03.00 पी.एम. पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी से निकालकर परिवादी श्री दयाचंद को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री परसराम कानि नं. 203 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी दयाचंद को आरोपी के पास जाने से पूर्व रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी एवं श्री परसराम कानि नं. 203 को परिवादी के साथ पैदल-पैदल ही तहसील कार्यालय भरतपुर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय- 03.40 पी.एमः पर परसराम कानि नं. 203 मय परिवादी श्री दयाचंद के उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं और श्री परसराम जी आपके कार्यालय से रवाना होकर तहसील कार्यालय भरतपुर पहॅुंचे जहां पटवारी मुकेश कुमार के बारे में जानकारी की गई तो वहां

मुकेश कुमार पटवारी नही मिले तो वहां उपस्थित कर्मचारियों ने बताया कि मुकेश कुमार पटवारी आज यहां उपस्थित नही है किसी काम से बाहर गये हैं। इस कारण उनसे बातचीत नही हो पाई हैं उनके आने पर ही रिश्वत मांग के सम्बंध में बातचीत हो पाएंगी। तत्पश्चात परिवादी श्री दयाचंद को बाद हिदायत रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 30.05.25 समय- 03.00 पी.एमः पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चलाकर चैक किया और मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर वापस सुरक्षित आलमारी रखवाया गया। इसके बाद दिनांक 02.06.25 समय- 03.40 पी.एमः पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकरण सं. 284/24 विरूद्ध पूरनचंद खारवाल में वास्ते अभियोजन स्वीकृति हेतु श्रीमान कलक्टर साहब करौली हेतु रवाना हुआ और कार्यालय के कर्मचारी श्री परसराम कानि. नं. 203 को कार्यालय की आलमारी की चाबी सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी श्री दयाचंद के आने पर कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को निकालकर रिश्वत मांग सत्यापन करावें और हालात मुझसे जरिए फोन बतावें। इसके बाद दिनांक 04.06.25 समय- 11.50 ए.एमः पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चौकी पर उपस्थित आया । तत्पश्चात कार्यालय के कर्मचारी श्री परसराम कानि. नं. 203 ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को निकालकर सुपुर्द कर बताया कि कल दिनांक 03.06.25 को लगभग 1.30 पी.एम.पर परिवादी श्री दयाचंद कार्यालय में रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बंध में उपस्थित आया था जिस पर मैंने जरिए वाट्सअप कॉल आपसे हालात निवेदन किये थे तत्पश्चात आपके द्वारा मुझको सुपुर्द की गई चाबी से कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को निकालकर परिवादी श्री दयाचंद के साथ वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन हेतु तहसील कार्यालय गया था जहां विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को को चालू एवं बंद करने की विधि परिवादी को समझाकर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दिया जिसने बाद रिश्वत मांग सत्यापन के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को बंद कर सुरक्षित मुझे सुपुर्द कर दिया। परिवादी ने मुझे बताया कि पटवारी 8,000 रूपये लेकर मेरा काम कराने पर सहमत हो गया है। आपके निर्देशानुसार परिवादी को 8,000 रूपये की व्यवस्था कर कार्यालय आने के लिए पाबंद किया और उसे रूकसत किया गया था एवं वापस कार्यालय आकर मैंने वॉइस रिकॉर्डर का कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रख दिया जिसे आज आपके आने पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात उक्त विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय के लैपटॉप से कनैक्ट कर टेबल स्पीकर की सहायता से सुना गया तो उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई है। वॉइस रिकॉर्डर को वापस सुरक्षित आलमारी में रखा गया और कार्यालय की आलमारी की चाबी अपने कब्जे मे ले ली । गवाह पाबंद कर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। इसके बाद समय- 04.00 पी.एम. पर कार्यवाही हाजा में स्वतंत्र गहावान की आवश्यकता होने पर श्री कपिल कानि. नं. को स्वतन्त्र गवाह को पाबन्द करने हेतु श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा भरतपुर के पदनाम तहरीरी जारी कर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा भरतपुर रवाना किया गया। इसके बाद समय- 05.15 पी.एम. पर श्री कपिल सिंह कानि0 उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार स्वतंत्र गवाहान को जरिये मोबाईल तलब करने पर उपस्थित होने की हिदायत कर वापस आया।

इसके बाद दिनांक 05.06.2025 समय- 11.15 ए.एम. पर परिवादी दयाचन्द उपस्थित कार्यालय आया जिसने बताया कि मै आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 8,000 रूपये का इन्तजाम करके लेकर आया हूं। जिसे कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय- 11.20 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान को जरिये मोबाईल कार्यालय में उपस्थित होने के लिये तलब किया गया। इसके बाद समय- 11.35 ए.एम. पर जरिये मोबाईल तलबशुदा स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय है जिनको कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय- 11.40 ए.एम. पर पूर्व से उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम क्रमशः श्री विनोद शर्मा पुत्र श्री किशनलाल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 46 साल निवासी नवग्रह कुन्ड के पास गुलजार बाग कोलोनी भरतपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा भरतपुर। मो.नं.[redacted] तथा श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री गिर्राज सिंह जाति जाट उम्र 48 साल निवासी गांव गढी रामबल पोस्ट ओल पुलिस थाना फरह जिला मथुरा यूपी हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा भरतपुर। मो.नं.-[redacted]ना बताया जिनका कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी दयाचन्द से आपस में परिचय कराया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा कराई जा रही ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 20.05.25 को पेश की गई शिकायत को पढने को दिया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं प्रमाण स्वरूप दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने अपने हस्ताक्षर किये।इसके बाद समय- 11.50 ए.एम. पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 03.06.25 के मैमोरी कार्ड को कार्यालय की अलमारी से निकालकर वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर

करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय-12.05 पी.एम. पर परिवादी दयाचन्द व आरोपी मुकेश पटवारी के मध्य हुई सत्यापन वार्ता दिनांक 03.06.25 जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार किया गया। सीडी की और दो सीडी तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वाईस रिकार्डर से मैमोरी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " एम " अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय- 01.50 पी.एम. पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 03.06.25 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 05.15 पी.एम पर उपरोक्त मौतविरान के समक्ष मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री दयाचन्द पुत्र श्री बांके सिंह जाति राजपूत उम्र 48 साल निवासी ग्राम पीपला पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 16 नोट पांच-पांच सौ रूपये के कुल 8,000/- रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-
8QH379900,8FA377475,6NR253565,6QA814841,8FH263238,8FH263239,8FH263240,
8FH263241,5DB272119,6SK765264,7AH825385,2DT381809,8GH358613,8CH197461,
1LE138978,6UB154461

उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री अवधेश हैड कानि0 नं. 68 से मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री दीपक कुमार कानि नं.75 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री दयाचन्द की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विनोद शर्मा से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 8000/-रूपये के नोटों को श्री दीपक कुमार कानि नं.75 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट दांयी तरफ की पीछे की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर रिश्वत राशि लेने का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री प्रवीण सैनी से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री दीपक कुमार कानि नं.75 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री अवधेश कुमार हैडकानि नं. 68 के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप प पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया एसडी कार्ड डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री दीपक कुमार कानि नं.75 को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय- 05.40 पी.एम पर परिवादी श्री दयाचंद को पैदल ही तहसील कार्यालय भरतपुर को रवाना कर परिवादी के पीछे-पीछे श्री रीतराम सिंह उप निरीक्षक , श्री परसराम कानि.नं. 203 को रवाना कर उनके पीछे पीछे मन अति0 पुलिस

अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, श्री सुशील कुमार कानि. नं. 557,श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 610, श्री रितेश कुमार कानि. नं. 64, राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 106 , मय सरकारी वाहन बोलेरा मय चालक विजयसिंह नं. 339 मय सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्स के तहसील कार्यालय भरतपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ एवं श्री मुनेश कुमार उप निरीक्षक , श्री जागेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक , सुरेश कुमार कानि, श्री अवधेश हैडकानि. ,श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 85, श्री यशपाल सिंह कानि., श्री गोकुलेश कानि. एवं श्रीमती शगुन महिला कानि. को अपनी गोपनीयता बनाए रखते हुए पैदल-पैदल तहसील कार्यालय भरतपुर के आस पास रवाना कर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडे होने की हिदायत की गई। इसके बाद समय- 05.50 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा तहसील कार्यालय भरतपुर के पास पहुंचा जहां सरकारी गाडी को साईड में खडा कर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के तहसील कार्यालय के आसपास कुछ दूरी पर अपनी पहचान छुपाते हुए खडे हो गया परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के मुर्कर ईशारे का इंतजार है। इसके बाद समय- 06.10 पी. एम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को परिवादी श्री दयाचंद के नियत ईशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान एवं जाप्ता के तहसील कार्यालय के बाहर स्थित माहेश्वरी ईमित्र के पास पहुंचा जहां पर परिवादी श्री दयाचंद उपस्थित मिला जिनसे पूर्व में सुपुर्द शुदा वॉईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने मन अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि ये मुकेश कुमार पटवारी हैं जिसने अभी अभी मेरे से मेरे परिवारजन की जमीन की सीमा ज्ञान कराने के लिए टीम गठित कराने एवं सीमाज्ञान कराने की एवज में मेरे से रिश्वत के 8,000 रूपये लेकर के आपको देखकर ईमित्र में स्थित टेबल के पास नीचे डाल दिये हैं। इस पर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान, जाप्ता व परिवादी के ईमित्र के अन्दर पहुंचा। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पास में खडे हुए व्यक्ति से अपना व हमराहीयान का परिचय देकर नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम मुकेश कुमार पुत्र श्री हरीचरणलाल जाति वैश्य उम्र 40 साल निवासी ए-412 जवाहरनगर पुलिस थाना मथुरागेट जिला भरतपुर होना बताया, और अपने दोनों हाथों को रगडने लगा जिस पर पटवारी मुकेश कुमार के कलाईयों के ऊपर से दांहिना हाथ श्री रीतरामसिंह सहायक उप निरीक्षक से एवं बांया हाथ श्री परसराम कानि. नं. 203 से पकडवाया गया। तत्पश्चात आरोपी पटवारी मुकेश कुमार से 8,000 रूपये रिश्वत राशि लेने के संबंध में पूछा तो आरोपी मुकेश कुमार पटवारी ने बताया कि दिनांक 03.06.25 को परिवादी दयाचंद मेरे पास आया था और अपने परिवारजनों की जमीन का सीमाज्ञान के लिए मुझसे बात की थी तो मैने तहसीलदार जी से टीम गठित कराकर सीमाज्ञान कराने की कहा था मैने कोई पैसे नही मांगे थे और आज दिनांक 05.06.25 को मेरे पास अपने परिवारजनों की जमीन का सीमाज्ञान कराने की बात करने आया था जिस पर मैंने एक-दो दिन में सीमाज्ञान कराने के लिए कहा था और मैने कोई पैसे नही लिए हैं। इसके बाद पास में ही खडे हुए परिवादी श्री दयाचंद ने आरोपी मुकेश कुमार पटवारी की बातों का खंडन करते हुए बताया कि पटवारी साहब झूंठ बोल रहे हैं मैं दिनांक 03.062025 को तहसील परिसर भरतपुर में पटवारी साहब से मेरे परिवारजनों की जमीन का सीमाज्ञान कराने के लिए मिला था तो पटवारी साहब ने मेरे से सीमाज्ञान कराने के लिए तहसीलदार साहब से टीम गठित कराने एवं सीमाज्ञान कराने की एवज में 10,000 रूपये रिश्वत की मांग कर मेरे निवेदन करने पर 8,000 रूपये लेने पर सहमत हुए थे जिस पर आज दिनांक 05.06.25 को मेरे से मांग के अनुशरण में 8,000 रूपये रिश्वत के प्राप्त कर अपने दांये हाथ में लेकर आपकी टीम को देखकर माहेश्वरी ईमित्र में स्थित टेबल के पास नीचे डाल दिये हैं। तत्पश्चात ईमित्र के अन्दर टेबल के पास नीचे पडी हुई राशि पांच-पांच सौ रूपये के नोटों स्वतंत्र गवाह श्री विनोद शर्मा अति. प्रशासनिक अधिकारी से उठवाकर गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के 16 नोट कुल 8,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के होना पाये गये जिनका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू होना पाये गये। उक्त रिश्वत राशि बरामदगी कार्यवाही की विडियो ग्राफी मन अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 नं. 106 द्वारा विभागीय वीडियो कैमरा से की गई। नोटों के नम्बरों का विवरण निम्न प्रकार है-

8QH379900,8FA377475,6NR253565,6QA814841,8FH263238,8FH263239,8FH263240, 8FH263241,5DB272119,6SK765264,7AH825385,2DT381809,8GH358613,8CH197461, 1LE138978,6UB154461

उक्त रिश्वती राशि को सुरक्षित रूप से स्वतंत्र गवाह विनोद कुमार के पास रखवाया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाकर माहेश्वरी ईमित्र में रखी हुई पानी की बोतल से पानी मगवा कर डिस्पोजल गिलासों को साफ करवाकर एवं साफ पानी मंगवाकर गिलास साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह श्री रणवीर सिंह से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में आरोपी मुकेश कुमार के दांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आर. एच.-1 व आर. एच.-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को

नष्ट किया गया एवं पुनः ट्रेप बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकाल कर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी मुकेश कुमार के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी रंग की झलक देता हुआ है जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच-1 व एल एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसे साफ कराकर उसमें साफ पानी डाल कर सोडियम कार्बोनेट का घोल स्वतंत्र गवाह श्री रणवीर सिंह से तैयार करा कर ट्रेप बॉक्स से रूई का फोआ निकलवा कर गवाह श्री रणवीर सिंह से रूई के फोऐ को घोल में डुबाकर फोऐ से दरी को पुछवाया जाकर घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर डी-1 व आर डी-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात रूई फोआ व दरी के टुकडे को काटकर सुखवा कर दरी के टुकडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर , रूई के फोआ व दरी के टुकडे को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "आरडी' अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात भीडभाड होने एवं कार्यवाही में व्यवधान होने की आशंका होने से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवहान मय ट्रेप टीम मय ट्रेप उपकरण मय जब्तशुदा आर्टीकल्स मय आरोपी मुकेश कुमार मय परिवादी श्री दयाचंद के माहेश्वरी ईमित्र से रवाना होकर तहसील कार्यालय भरतपुर उपस्थित आया।तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री विनोद शर्मा के पास सुरक्षित रखी हुई रिश्वती राशि पांच-पांच सौ रूपये के 16 नोट कुल 8,000 रूपये रिश्वती राशि को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से टेबल स्पीकर से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। आरोपी मुकेश कुमार पटवारी से परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली के संबंध में पूछा तो बताया कि परिवादी के कार्य से सम्बंधित पत्रावली पटवार घर में स्थित कमरे में मेरे कार्य करने की टेबल पर रखी हुई है जिसको जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जावेगा। आरोपी मुकेश कुमार पटवारी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) अपराध श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द बरामदगी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद संबंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय- 08.50 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय मुनेश कुमार उप निरीक्षक , लोकश कुमार कानि. ,स्वतंत्र गवाहान मय आरोपी मुकेश कुमार मय परिवादी श्री दयाचंद मय ब्रजमोहन शर्मा पटवारी के रवाना होकर पटवार घर भरतपुर पहुंचा जहां मुकेश कुमार पटवारी ने अपने पास रखी हुइ चाबी से पटवार घर का ताला खोलकर अपने कार्य करने की टेबल से परिवादी श्री दयाचंद के कार्य से सम्बंधित दस्तावेज पेश किये जिनको लेकर मय जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय आरोपी मय ब्रजमोहन शर्मा पटवारी मय दस्तावेजात के पटवार घर भरतपुर से रवाना होकर तहसील कार्यालय भरतपुर आया जहां दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो प्रथम पेज पर खातेदार या गैर खातेदार अपने खेत का सर्वेक्षण और सीमांकन कराने हेतु आवेदन पत्र लिखा हुआ है। आवेदक के नाम के सामने दिनेश सिंह पुत्र बाकेसिंह ग्राम पीपला लिखा हुआ है एवं उक्त फॉर्म पर नायब तहसीलदार भरतपुर द्वारा एल आर के नाम मार्क कर रखा हुआ है जिसको ब्रजमोहन पटवारी ने पहचान कर नायब तहसीलदार श्री नरेन्द्र राजावत के हस्ताक्षर होना बताया। फॉर्म के द्वितीय पेज पर जमाबंदी की प्रतिलिपि खाता सं. नया 132 है जो काश्तकार दिनेशसिंह पुत्र बांकेसिंह का नाम अंकित है। पेज मं. 03 पर खातेदार या गैर खातेदार अपने खेत का सर्वेक्षण और सीमांकन कराने हेतु आवेदन पत्र लिखा हुआ है। आवेदक के नाम के सामने मायादेवी पत्नि बाकेसिंह ग्राम पीपला लिखा हुआ है एवं उक्त फॉर्म पर नायब तहसीलदार भरतपुर द्वारा एल आर के नाम मार्क कर रखा हुआ है जिसको भी ब्रजमोहन पटवारी ने पहचान कर नायब तहसीलदार श्री नरेन्द्र राजावत के ही हस्ताक्षर होना बताया। फॉर्म के चौथे पेज पर जमाबंदी की प्रतिलिपि खाता सं. नया 226 है जो काश्तकार मायादेवी पत्नि बांकेसिंह का नाम अंकित है। चूकि उक्त दस्तावेजातों की कार्यवाही हाजा में बतौर वजह सबूत आवश्यकता होने पर उक्त मूल दस्तावेजात को कार्यवाही हाजा में जप्त किया गया एवं मौके पर तलबिदा श्री ब्रजमोहन शर्मा पटवारी तहसील भरतपुर उपस्थित है, दस्तावेजात के प्रथम व अन्तिम पृष्ठ पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कार्यवाही हाजा में बतौर वजह सबूत जप्त किया गया। फर्द जप्ती पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय- 09.40 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी मुकेश कुमार पुत्र श्री हरीचरणलाल जाति वैश्य उम्र 40 साल निवासी ए-412 जवाहरनगर पुलिस थाना मथुरागेट जिला भरतपुर हाल पटवारी पटवार हल्का पीपला-1 तहसील व जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री दयाचंद के परिजनां की जमीन की सीमा ज्ञान कराने के लिए टीम गठित कराने एवं सीमाज्ञान कराने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 03.06.25 को 10,000 रूपये रिश्वत की मांग की व परिवादी के कहने पर 8,000 रूपये लेने पर सहमत हुआ उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक

05.06.25 को परिवादी से तहसील कार्यालय भरतपुर के सामने माहेश्वरी ईमित्र पर 8,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडे जाने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री विनोद शर्मा से लिवाई गई तो आरोपी के पास एक वीवो कम्पनी का मोबाईल जिसमें जीओ की सिम जिनके नं0[redacted]डली हुई है एवं जामा तलाशी में 10,700/-रूपये नगद मिले जिनके संबंध में पूछा तो आरोपी ने घर खर्च के होना बताये। आरोपी के पास मिली राशि के संबंध में संतोषप्रद जबाब देने पर उक्त राशि व मोबाईल को आरोपी के कहे अनुसार आरोपी के भाई श्री मनोज कुमार को संभलाया गया। गिरफ्तारी की सूचना भाई श्री मनोज कुमार को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय- 10.10 पीएम पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद ममय- 10.15 पीएम पर श्री मुनेश कुमार उप निरीक्षक मय श्री राजेन्द्र कुमार कानि0 मय गिरफ्तार शुदा आरोपी मुकेश कुमार पटवारी मय सरकारी गाडी बोलेरो मय चालक विजय सिंह के आरोपी को पुलिस थाना मथुरा गेट में बन्द हवालात कराते हुए एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचने की हिदायत देकर रवाना कर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम मय परिवादी मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट , डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात के पैदल-पैदल एसीबी चौकी भरतपुर के लिये रवाना होता हूं। इसके बाद समय- 10.30 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम मय परिवादी मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा एसीबी चौकी भरतपुर पहुँचा एवं जब्तशुदा आर्टीकल्स व ट्रेप बॉक्स को श्री अवधेश कुमार हैडकानि. नं. 68 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को कल प्रातः 08.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। इसके बाद समय- 10.40 पीएम पर श्री मुनेश कुमार मय राजेन्द्र कुमार कानि0 मय सरकारी गाडी मय चालक के आरोपी को पुलिस थाना मथुरा गेट में बन्द हवालात करवा कर एसीबी चौकी उपस्थित आया। इसके बाद दिनांक 06.06.25 समय- 08.30 ए.एम. पर परिवादी श्री दयाचंद एवं स्वतंत्र गवाह श्री विनोद शर्मा एवं श्री रणवीर सिंह पूर्व से पाबंदशुदा उपस्थित कार्यालय आये। इसके बाद समय- 08.40 ए.एम. पर वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 05.06.25 के मेमोरी कार्ड को वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है, से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय- 08.50 ए.एम. पर परिवादी दयाचंद से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी व आरोपी मुकेश कुमार पटवारी के मध्य हुई वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता वार्तालाप रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी में अनुवाद तैयार किया गया। सीडी की और दो सीडियाँ तैयार की गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रतियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " बी " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडियों को कपडे की थैली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वाईस रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "एम -1" अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व मेमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया । फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय- 10.00 ए.एम. पर वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 05.06.25 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय- 10.10 ए.एम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 106 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी एवं जब्ती रिकॉर्ड की विभागीय वीडियो कैमरा द्वारा कराई गई वीडियोग्राफी की दो सीडी तैयार की जाकर सीडीयों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराये जाकर एक सीडी को सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मौहर किया जाकर मार्क 'वी' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं दूसरी सीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। शील्ड सीडी को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैडकानि.68 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। फर्द रिश्वत राशि बरामदगी वीडियोग्राफी पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गयी। इसके बाद समय- 10.40 ए.एम पर श्री मुनेश कुमार उप निरीक्षक मय श्री

दीपक कुमार कानि. नं. 75, श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 221, श्री मेघसिंह कानि. नं. 128 मय सरकारी वाहन बोलेरो चाल धर्मवीर सिंह नं. 337 के कल दिनांक 05.06.25 को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना मथुरागेट में बंद हवालात आरोपी मुकेश कुमार पटवारी को बाद स्वास्थ्य परीक्षण कार्यालय में उपस्थित लाने की हिदायत देकर रवाना किया गया। इसके बाद समय- 11.50 ए.एम पर उपरोक्त फिकरावाला का रवानाशुदा श्री मुनेश कुमार उप निरीक्षक मय श्री दीपक कुमार कानि. नं. 75, श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 221, श्री मेघसिंह कानि. नं. 128 मय सरकारी वाहन बोलेरो चाल धर्मवीर सिंह नं. 337 के आरोपी मुकेश कुमार पटवारी के बाद स्वास्थ्य परीक्षण कार्यालय में उपस्थित आये। इसके बाद समय- 12.40 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 67 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री विनोद शर्मा को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी मुकेश कुमार पटवारी, पटवार हल्का पीपला-1 तहसील व जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री दयाचंद के परिजनां की जमीन का सीमा ज्ञान कराने के लिए टीम गठित कराने एवं सीमाज्ञान कराने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 03.06.25 को 10,000 रूपये रिश्वत की मांग की व परिवादी के कहने पर 8,000 रूपये लेने पर सहमत हुआ, उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 05.06.25 को परिवादी से तहसील कार्यालय भरतपुर के सामने माहेश्वरी ईमित्र पर 8,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडे जाने का आरोपी मुकेश कुमार पुत्र श्री हरीचरणलाल जाति वैश्य उम्र 40 साल निवासी ए-412 जवाहरनगर पुलिस थाना मथुरागेट जिला भरतपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का पीपला-1 तहसील व जिला भरतपुर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है। (अमित सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर।.................कार्यवाही पुलिस.................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी मुकेश कुमार पुत्र श्री हरीचरणलाल जाति वैश्य उम्र 40 साल निवासी ए-412 जवाहरनगर पुलिस थाना मथुरागेट जिला भरतपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का पीपला-1 तहसील व जिला भरतपुर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रनिब्यूरो करौली को मनोनित किया गया है । उक्त की रोजनामचाआम रपट संख्या 700 पर अंकित है (डॉ.प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर । क्रमांक 839-42 दिनांक 07.06.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर, 2. उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जयपुर-तृतीय, रेंज भरतपुर, 3.जिला कलक्टर भरतपुर, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो भरतपुर । पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JAGDISH BHARDWAJ **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 07/06/2025 16:5

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)